न्यायालय अति० जिला कलक्टर दौसा

तारीख हुक्म	मु० नं० 17/2022 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान - केशन्ती व अन्य बनाम राजेन्द्र व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09-2-24	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री नीरज कुमार मीना उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई का स्थानांतरण हो गया है इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को आगे चलाये जाने का औचित्य नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता प्रार्थीगण के कथन पर मनन किया गया। विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानांतरण श्री नीरज कुमार मीना तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के विरुद्ध पेश किया गया है, जिनका स्थानांतरण हो गया है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानांतरण सारहीन होने से इसी स्तर खारिज किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में विचाराधीन प्रकरण उनवानी केशन्ती बनाम राजेन्द्र वगैरा दावा बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण करने हेतु प्रार्थीगण केशन्ती देवी पत्नि श्री शिम्भूदयाल एवं तुलसी देवी पत्नि रामकुंवार जाति मीना निवासी चैनपुरा तहसील बसवा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेखभण्डार भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 09-2-2024 को मेरे द्वारा खुले [illegible] में सुनाया गया। नरेश बुनकर नरेश बुनकर अति. जिला कलक्टर दौसा (राज.	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.14 15:25:43 IST
Reason: SelfAttested